

तारीख हुकम

22-04-25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता  
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग  
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।  
कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता  
वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर  
गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व  
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वारिज  
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारखिल  
दफतर हो व नंबर से कम हो।

22/04/25  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बाबू